संख्या: 3235 /एक-10-2018-5(जी)/2016 टी.सी.

प्रेषक,

संजय कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारीगण,
झांसी, महोबा, मीरजापुर एवं सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 30 अक्टूबर, 2018

विषय:-रबी सूखे से हुई कृषि फसलों की क्षति के सापेक्ष् प्रभावित किसानों को भारत सरकार के मानक के अनुसार कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानसून अवधि में कम वर्षा के कारण रबी फसलों में हुयी क्षति के सापेक्ष प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु आपके जनपद से प्राप्त विवरण के आधार पर कुल 678.98 करोड रू0 का रबी सूखा मेमोरेण्डम-2018 भारत सरकार को प्रेषित किया गया था।

2- राज्य सरकार द्वारा प्रेषित मेमोरेण्डम के सन्दर्भ में भारत सरकार महालेखाकार के आकड़ों के अनुसार राज्य आपदा मोचक निधि में दिनांक 01.04.2017 को उपलब्ध धनराशि रू0 602.05 करोड में से 50 प्रतिशत अर्थात रू0 301.02 करोड की धनराशि पूर्व में ही बाढ़ मेमोरेण्डम के सापेक्ष समायोजित किये जाने के आधार पर रू0 157.23 करोड की धनराशि राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से स्वीकृत किया गया है।

3- भारत सरकार द्वारा सूखाग्रस्त 05 जनपद यथा झांसी, महोबा, मीरजापुर, सोनभद्र एवं ललितपुर के लिए फसल क्षति (बोये हुए क्षेत्र sown area+बिना बोये हुए क्षेत्र unsown area) 2 हे0 तक की भूमि के कृषकों हेतु कृषि निवेश अनुदान के रूप में मांग की गयी धनराशि रू0 408.30 करोड के सापेक्ष मात्र रू0 94.56 करोड (रूपये 321.88 करोड के सापेक्ष) स्वीकृत की गयी है। बिना बोये हुए क्षेत्र unsown area के लिए मांग की गयी धनराशि रू0 86.42 करोड के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

4- अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा प्रेषित मेमोरेण्डम में लघु एवं सीमांत किसानों के लिए रू0 201.40 करोड एवं वृहद किसानों के लिए के लिए रू0 120.47 करोड के सापेक्ष रू0 94.56 करोड स्वीकृत किया गया है जो वॉछित धनराशि का मात्र 29.37 प्रतिशत तथा लघु एवं सीमांत किसानों के लिए वॉछित धनराशि रू0 201.40 करोड का 46.95 प्रतिशत ही है। भारत सरकार द्वारा अत्यन्त कम धनराशि स्वीकृत की गयी है। अतः जनपदों की मांग के अनुसार केवल लघु एवं सीमांत किसानों को



Scanned by CamScanner

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के समानुपात में कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

| क्रम संख्या | जनपद का नाम | लघु एवं सीमांत कृषकों को वितरित किये जाने की जाने जनपद की मांग (लाख में) | भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुपात में जनपद को स्वीकृत की जानी वाली धनराशि (मांग का 46.95 प्रतिशत) (लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1- | झांसी | 7423.5 | 3485.40 |
| 2- | महोबा | 8029.33 | 3769.77 |
| 3- | मीरजापुर | 63.15 | 29.64 |
| 4- | सोनभद्र | 4624.16 | 2171.04 |
| | | कुल योग रू0 | 9455.85 |
| | | (चौरानवे करोड़ पचपन लाख पचासी हजार मात्र) | |

5- जनपदों द्वारा कृषकों के मध्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के समानुपात में ही धनराशि वितरित की जायेगी तथा न्यूनतम सहायता राशि रू० 1,000/- से कम नहीं दी जायेगी। स्वीकृत धनराशि के व्यय पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से पर्यवेक्षण करते हुए इसके वितरण पर सतर्क दृष्टि रखी जायेगी एवं धनराशि का 03 माह के भीतर उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार के आदेश दिनांक 06-05-2015 एवं 30-07-2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- जनपदों द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 ( उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है ) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय।



Scanned by CamScanner

7- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक *"2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-05-नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय"* के नामे डाला जायेगा।

8- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

9- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित है तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का भी अनुपालन किया जायेगा।

10- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निमयानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

11- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

12- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अत: आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अत: आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

13- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू०पी०.ए०आई०सी०.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय ।

14- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू०ओ०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

15- उक्त धनराशि कां उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

16- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(संजय कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त।



Scanned by CamScanner

संख्या- 3235 (1)/एक-10-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3. विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ०प्र०।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र०।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उप्र0।
8. सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
10. समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner